छात्रों हेतु आचार संहिता

1. शासनादेश संख्या – 528 (1) 15 (उ.शि.) 71/97 दिनांक 11 जून 1997 के अनुसार कोई भी छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्रपट नहीं कर सकेगा, जब तक की वह व्याख्यान और ट्यूटोरियल कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपसतिथि पूरी नहीं करता है।
2. प्रत्येक छात्र के पास महाविद्यालय परिचय पत्र का होना अनिवार्य है। जिसे परिसर में कभी भी मांगा जा सकता है, परिचय पत्र खोने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा डुप्लिकेट परिचय पत्र मुख्य शासता से प्रपट कर लें।
3. जिन छात्रों की गतिविधियां शास्ता मण्डल / विश्वविद्यालय प्रशासन की राय में अवांछनीय है उन्हे प्रवेश लेने से वंचित किया जा सकता है / निष्कासित किया जा सकता है / उनका प्रवेश भी निरस्त किया जा सकता है।
4. महाविद्यालय परिसर में हड़ताल करने अथवा किसी भी हड़ताल को समर्थन देने वाले विद्यार्थी को अनुशासन भंग करने का दोषी माना जाएगा ऐसा विद्यार्थी नियमानुसार महाविद्यालय से स्वतः एवं तथ्यतः निष्कासित हो जाएगा।
5. दुराचरण एवं उद्दण्ड्ता के दोषी विद्यार्थी भी नियमानुसार दंड के भागी होंगे ।
6. महाविद्यालय में रैगिंग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संगेय अपराध की श्रेणी में स्थापित किया है । रैगिंग में दोषी पाये जाने पर विद्यार्थियों के विरुद्ध अपराध की गंभीरता को देखते हुए निम्नलिखित कार्रवाई कर सकती है –
    I. प्रवेशार्थी का प्रवेश निरस्त किया जाना ।
    II. महाविद्यालय से निष्कासन / निलंबन किया जाना।
    III. किसी अन्य संस्थान में प्रवेश लेने से वंचित किया जाना।
    IV. प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की वापसी ।
    V. अपराध की प्रवृत्ति के अनुसार मुकदमा चलाया जाना भी सम्मिलित है।

महाविद्यालय के प्रति मुख्य अपराध

1. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के प्रति वचन एवं कर्म द्वारा निरादर करना।
2. महाविद्यालय में आए किसी सम्मानित अतिथि के प्रति अभद्रता एवं निरादर प्रदर्शित करना।
3. कक्षाओं में शिक्षण कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करना ।
4. वचन या कर्म द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग करना अथवा धमकी देना ।
5. ऐसा कोई भी कार्य जिससे शांति व्यवस्था व अनुशासन को धक्का लगे या हानि पहुंचे और महाविद्यालय की छवि धूमिल हो ।
6. रैगिंग करना या उसके लिए प्रेरित करना ।
7. परिसर में किसी राजनीतिक या सांप्रदायिक विचारधारा का प्रचार- प्रसार या प्रदर्शन करना।
8. जाली हस्ताक्षर, झूठा प्रणाम पत्र या झूठा बयान प्रस्तुत करना ।
9. शास्ता मण्डल के आदेशों / निर्देशों का उल्लंघन करना अथवा मानने से इंकार करना ।

निषेध

1. महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में धूम्रपान अथवा मादक पदार्थों का सेवन करना ।
2. महाविद्यालय भवन के कक्षों, दीवारों, दरवाजों, आदि पर लिखना, थूकना अथवा गंदा करना और उन पर विज्ञापन लगाना।

3. महाविद्यालय के भवन, बगीचे, फुलवारी, अथवा संपत्ति, को क्षति पहुंचाना / क्षति पहुँचने का प्रयास करना ।
4. महाविद्यालय परिसर में लड़ाई – झगड़ा एवं मारपीट करना, अनायास शोर मचाना, सूचना पट्ट से नोटिस फाड़ना अथवा उसे बिगाड़ने का प्रयास करना ।
5. कक्षाओं में च्युइंगम , पान मसाला, मोबाइल फोन आदि का प्रयोग करना ।
6. महाविद्यालय के अधिकारी / शास्ता मण्डल / प्राध्यापक द्वारा विद्यार्थी का परिचय पत्र मांगने पर इंकार करना ।
7. जो भी व्यक्ति निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको निलंबित, अर्थदंडित एवं निष्कासित किया जा सकता है तथा विश्वविद्यालय परीक्षा में बेठने से भी रोका जा सकता है ।
8. **महाविद्यालय परिसर में मल्टिमीडिया फोन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है । शास्ता मण्डल द्वारा कभी भी जांच के समय उक्त फोन के पाये जाने पर फोन जब्त कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी ।**